दिनांक–25 अप्रील, 2013 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

ऊर्जा विभाग

1.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को वर्ष 2013–14 में सब्सीडी के रूप में कुल 2160 (इक्कीस सौ साठ) करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वर्ष 2013–14 के माह अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिए 180 (एक सौ अस्सी) करोड़ रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 2160 (इक्कीस सौ साठ) करोड़ रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन "सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता आन्दोलन तथा सामाजिक परिवर्तन अध्ययन संस्थान, पटना" के गठन एवं सोसाइटी निबंधन अधिनियम के तहत् निबन्धन हेतु प्रस्ताव।	2.	स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

3.	जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि का भुगतान।	3.	स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2012–13 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की स्वीकृति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिकता का निर्धारण।	4.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

5.	तदर्थ नियुक्त कर्मियों को एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

6.	मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को पुर्नगठित करने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

7. भारत सरकार द्वारा आई०सी०डी०एस० के पुर्नगठन के निर्णय के आलोक में पूरक पोषाहार हेतु नई दरों को लागू करने तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल वार्षिक लागत ₹ 1456,49,28,300/– के विरूद्ध प्राप्त बजट उपबंध से केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद में ₹ 708,88,89,000/– (सात सौ आठ करोड़ अठासी लाख नवासी हजार) तथा राज्य योजना (सामान्य/विशेष घटक) मद में ₹ 295,37,00,000/– (दो सौ पंचानवें करोड़ सैंतीस लाख) के व्यय की स्वीकृति। — **7. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

8. भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना के पुर्नगठन के निर्णय के आलोक में स्थापना मद के विभिन्न घटकों हेतु नई दरों को लागू करने तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 मे समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना के तहत स्थापना के संधारणार्थ केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से केन्द्राशं (90 एवं 75 प्रतिशत) के रूप में कुल ₹ 814,41,27,000/– (आठ सौ चौदह करोड़ एकतालीस लाख सताईस हजार) मात्र एवं राज्य योजना मद से राज्यांश (10 एवं 25 प्रतिशत) के रूप में कुल ₹ 113,48,20,000/– (एक सौ तेरह करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — **8. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

9. गेल (इण्डिया) लि० की प्रस्तावित योजना जगदीशपुर (उ०प्र०) से हल्दिया (प०बं०) तक नेचुरल गैस पाईप लाईन बिछाने के क्रम में बिहार राज्य से गुजरने के फलस्वरूप नेचुरल गैस के इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिहार सरकार एवं गेल इण्डिया लि० के बीच होने वाले करार के MOU का अनुमोदन। — **9. स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

10. केन्द्रीय योजनागत योजना अन्तर्गत षष्टम आर्थिक गणना के सम्पादन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में मो० 44,84,03,000.00 (चौवालिस करोड़ चौरासी लाख तीन हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति। — **10. स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

11. "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" अंतर्गत वर्ष 2013–14 के पूर्व वर्षों (2011–12 एवं 2012–13) मे ली गयी योजनाओं की वित्तीय सम्पोषण हेतु 517.78 करोड़ रूपये एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 636.00 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 1153.78 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति। — **11. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्वीकृत्यादेश ज्ञाप सं०–558 (6), दिनांक–17.04.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (Bihar Finance Service Housing Construction Co-operative Society Limited, Patna) को पटना जिला के अंचल–पटना सदर के मौजा–धीराचक, थाना सं०–16 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल 11.86 एकड़ भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि, बिहार खास महाल नीति, 2011 (परिशिष्ट–I) की कंडिका–19 को एक बार के लिए शिथिल करते हुए ₹1.00 (एक रूपया मात्र) सांकेतिक सलामी एवं ₹ 1.00 (एक रूपया मात्र) प्रति एकड़ सांकेतिक वार्षिक लगान के भुगतान पर अनियतकालीन लीज (Perpetual Lease) पर बंदोबस्त करने के संबंध में।

12. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

13. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत 73 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल रू० 13256.052 लाख (एक अरब बत्तीस करोड़ छप्पन लाख पाँच हजार दो सौ रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अपर समाहर्त्ता/संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं समकक्ष पद के वेतनमान में नियमित प्रोन्नति देने हेतु अधिसंख्य (Supernumerary) पदों का सृजन एवं भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।

14. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(गव्य विकास)

15. वित्तीय वर्ष 2012–17 में एन०सी०डी०सी० द्वारा दुग्ध संघों/डेयरी परियोजना इकाईयों में नये डेयरी संयंत्रों/पशु आहार संयंत्र के स्थापना के लिए सीधे कम्फेड को भुगतान की जाने वाली ऋण की राशि की अदायगी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी के संबंध में।

15. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

16. राज्य की खाद्यान्न भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए नाबार्ड द्वारा RIDF XVIII के अंतर्गत स्वीकृत ऋण रू० 238.85 करोड़ एवं राज्य अंशदान रू० 12.57 करोड़ (कुल रू० 251.42 करोड़) से कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए कुल 3,14,000 मे० टन भंडारण क्षमता के 340 गोदामों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम से कराने की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18. राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा के भवनों के निर्माण एवं मशीन–उपकरणों के क्रय हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू० 7,81,25,00,000/–(सात अरब इक्यासी करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के भवनों के निर्माण एवं मशीन–उपकरणों के क्रय हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू० 7,75,33,56,391 (सात अरब पचहत्तर करोड़ तैतिस लाख छप्पन हजार तीन सौ इकयानवे रूपये) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से एक लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में 31–06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा ईकाई में उपबंधित राशि में से रू० 10,00,00,000/–(दस करोड़) मात्र राशि के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

गृह विभाग

21. जिला मधुबनी में हुई पुलिस गोलीकांड की जाँच के लिए गठित न्यायिक जाँच आयोग के लिए प्रशाखा पदाधिकारी का एक पद, सहायक का–एक पद, निम्नवर्गीय लिपिक का–एक पद, आशुलिपिक (अंग्रेजी) का–दो पद, एवं आदेशपाल का–चार पदों की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

22.	बिहार पुलिस के अंतर्गत विशेष कार्यबल के लिए 14 अदद LMV Hard Top की क्रय करने के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

23.	बिहार सरकार के माननीय मंत्री सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद के सुरक्षा के लिये अतिरिक्त अंगरक्षक एवं अतिरिक्त आवास प्रहरी का 29 हवलदार एवं 522 सिपाही सहित कुल–551 पदों के सृजन के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

24.	श्री नरेश मोहन झा, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), पटना को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित करने के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

26.	राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत राज्य उच्च पथों के विकास हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बक्सर एवं रोहतास जिलान्तर्गत डुमरॉव–विक्रमगंज पथ (SH-79) के कुल 44.40 कि०मी० लम्बाई में पुल/पुलियों के निर्माण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 8705.228 लाख (सतासी करोड़ पाँच लाख बाईस हजार आठ सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

27.	समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आई०सी०डी०एस० के क्षेत्रीय कार्यालय जिला मुजफ्फरपुर में वादी श्रीमति पूनम कुमारी को माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में संविदा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु अनुमति के संबंध में।	27.	स्वीकृत।